

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेषक,

अनिल कुमार पाण्डेय,
सरकार के संयुक्त सचिव।

ई-मेल

सेवा में,

समाहर्ता,
सहरसा, बांका, शिवहर, गया, अरवल,
बक्सर, किशनगंज, सीतामढ़ी, जमुई,
नवादा, अररिया, सिवान एवं मुजफ्फरपुर।

पटना-15, दिनांक-.....

विषय - राजस्व कर्मचारी एवं अमीन पर की गयी दण्डात्मक कार्रवाई से संबंधित
अद्यतन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग :- विभागीय पत्रांक-233(4), दिनांक-10.06.2024, पत्रांक-412(4), दिनांक-
21.08.2024 एवं पत्रांक-483(4), दिनांक-27.09.2024

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा पिछले पाँच वर्षों में आपके
जिलान्तर्गत राजस्व कर्मचारियों एवं अमीनों पर की गयी अनुशासनिक कार्रवाई के संबंध में संलग्न
प्रपत्र में एक सप्ताह के अंदर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है, संबंधित प्रतिवेदन
अबतक अप्राप्त है।

अतः प्रासंगिक पत्र के क्रम में पुनः अनुरोध है कि पिछले पाँच वर्षों में आपके
जिलान्तर्गत राजस्व कर्मचारियों एवं अमीनों पर की गयी अनुशासनिक कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन
अविलम्ब उपलब्ध कराने की कृपा की जाए।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(अनिल कुमार पाण्डेय),
सरकार के संयुक्त सचिव।

ई-मेल

ज्ञापांक :-04/क्षे० स्था० विविध (पत्राचार)-03-09/2022-.....(4)/रा०, पटना-15, दिनांक-

प्रतिलिपि :-संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/अपर समाहर्ता, सहरसा, बांका, शिवहर, गया,
अरवल, बक्सर, किशनगंज, सीतामढ़ी, जमुई, नवादा, अररिया, सिवान एवं मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ
एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

(अनिल कुमार पाण्डेय),
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :-04/क्षे० स्था० विविध (पत्राचार)-03-09/2022-.....536(4)/रा०, पटना-15, दिनांक-30/10/24

प्रतिलिपि :- माननीय/मंत्रि के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त
सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ
एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(अनिल कुमार पाण्डेय),
सरकार के संयुक्त सचिव।